ई-गवर्नेंस : ग्रामीण समाज के लिए वरदान

कुरुक्षेत्र, जनवरी 2015

—डॉ. प्रणवदेव

विगत एक दशक से भी ज्यादा समय से देश में ई-गवर्नेंस की धारणा बलवती होती जा रही है। ई-गवर्नेंस की उभरती तकनीक सुशासन के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी तथा शासन एवं जनता को कितने नए अवसर मिलेंगे? इस प्रश्न पर विचार करने से पहले ई-गवर्नेंस के बारे में जानना समीचीन होगा। ई-गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रणाली प्रशासन की वह नवीनतम प्रणाली है जिसमें प्रशासन की अंतिम इकाई या गांव की जनता तक सरकारी सूचनाएं एवं सेवाएं द्रुतगति से पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों और संचार उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ई-गवर्नेंस प्रणाली में शासकीय कामकाज चलाने के लिए दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासन को त्वरित, सरल, जिम्मेदार, संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रगति ने जहां एक ओर समूची दुनिया को "ग्लोबल विलेज" का रूप दिया वहीं दूसरी ओर नित नए आविष्कारों ने ग्रामीण समाज एवं शासन को सुविधाओं का नया क्षितिज प्रदान किया। आज हम कई प्रकार के शब्द जैसे– ई–मेल, ई–बिजनेस, ई–टेंडर, ई–बैंकिंग, ई–शिक्षा, ई–चेट, ई–कैश, ई–कामर्स, ई–कन्सलटेंट, ई–फैक्स, ई–प्रिक्योरमेंट, टेलीमेडिसिन, विडियो कान्फ्रेंसिंग आदि कौतुहूल से सुनते रहते हैं जिनसे समाज में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के बढ़ते प्रभाव का सहज अनुमान लगाया जा सकता है,। कहने का तात्पर्य यह है कि अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।

जिस प्रकार सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन सूचना क्रांति से प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार शासन की कार्यशैली भी परिवर्तित हो रही है सुशासन की अवधारणा सन् 1992 ई. में विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार "स्मार्ट (SMART) प्रशासन" पर जोर दिया गया। यहां स्मार्ट प्रशासन के S=Simple (सरल), M=Measurable/Massoriented (मापनीय/ जनाभिमुख), A=Alert (सतर्क, तत्पर, चौकन्ना), R= Responsible (उत्तरदायी/जिम्मेदार), T = Tactful/Transparent (व्यवहार कुशल/पारदर्शी) का आशय लिया जा सकता है।

विगत शताब्दी के अंतिम दौर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से जो नए

युग का सूत्रपात हुआ उससे हमें ई–मेल, इंटरनेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण एवं प्रणालियां मिली। यद्यपि ई–गवर्नेंस की शुरुआत 1980 के दशक में देश के सभी जिला मुख्यालयों को कम्प्यूटरों के माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के प्रयासों से हुई थी लेकिन इसके बाद के वर्षों में इन योजनाओं में काफी बदलाव किया गया, और अतंतः देश में ई–गवर्नेंस केन्द्र की स्थापना 15 अगस्त, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निकेतन में की, ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ई–गवर्नेंस से क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के प्रयोग की जानकारी एकत्रित एवं प्रसारित की जा सके। इस केन्द्र में ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। कार्यशालाओं, वीडियो तथा टेलीकान्फ्रेंसिंग के द्वारा निर्णायक समितियों के लिए ई–गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की सहायता करना तथा अच्छे कार्यों के निष्पादन में स्थिरता लाने हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा भारत से विदेशों में निरन्तर बातचीत करना आदि इस केन्द्र के प्राथमिक कार्य है।

इसी प्रकार भारत सरकार ने 17 अक्टूबर, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को लागू करके ई–कॉमर्स एवं ई–गवर्नेंस को विधिक मान्यता प्रदान की। अब ई–कॉमर्स पर दी जाने वाली सूचनाओं, व्यापारिक एवं वित्तीय लेनदेन के अतिरिक्त डिजिटल हस्ताक्षरों को भी मान्यता मिल जाएगी तथा कम्प्यूटर की फ्लॉपी में दर्ज दस्तावेजों को भी प्रमाणिक माना जाएगा। ई–गवर्नेंस से देश को परिचित कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को ई–गवर्नेंस वर्ष के रूप में घोषित किया था तथा वर्ष 2008 तक "सबके लिए आई.टी." का उद्देश्य लक्षित किया गया था। सभी विकसित देशों में ई–कॉमर्स या डिजीटल हस्ताक्षर को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। वहां कार्यप्रणाली को नियमित करने के लिए नीति एवं नियम बनाए गए जिनका कठोरता के साथ पालन भी किया जाता है। व्यापार, वाणिज्य से लेकर मनोरंजन एवं ज्ञान प्राप्ति की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपादानों का उपयोग दिन–प्रति–दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थितियों में शासन–तंत्र जनता को बेहतर सेवाएं अर्थात् सुशासन कैसे दे ? जनता और शासन के बीच सद्भावी और सहभागी सम्बन्धों की स्थापना कैसे हो ? ई–गवर्नेंस की नवीन तकनीक से सरकारी कामकाज में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उक्त प्रश्नों का सफल समाधान ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। ई–गवर्नेंस सामान्य तथा व्यापक दृष्टिकोण वाली वह प्रणाली सिद्ध हो सकती है जिसके माध्यम से सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकता है। इसके माध्यम से सरकारी कामकाज में गुणात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे शासन के कार्य में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकता है। सभी नागरिकों को तीव्र गति से शासकीय सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। प्रभावी प्रशासन में सुधार के साथ–साथ परिवहन, जल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर सेवाओं आदि क्षेत्रों में ई–गवर्नेंस के माध्यम से आमूलचूल सुधार किए जा सकते हैं। प्रायोगिक तौर पर ई–गवर्नेंस का उपयोग जहां किया गया है, वहां इसके परिणाम देखकर यह विश्वास होता है कि ई–गवर्नेंस से आम आदमी को सरकारी सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को राशनकार्ड बनवाना हो तो ऑनलाईन अर्जी डाल सकते हैं एवं वस्तुस्थिति जानकर राशनकार्ड का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

इसी प्रकार पेंशन, वेतन, राज्य प्रावधायी निधि आदि के बारे में तथा पानी, बिजली, फोन, मोबाईल आदि के बिलों के भुगतान की भी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाती है। इंटरनेट पर आम आदमी की पहुंच बनाने के लिए जगह–जगह निजी क्षेत्रों को जनमित्र, ई–मित्र की भांति संचार ढाबा खोलने के अवसर प्राप्त होंगे, जहां सामान्य शुल्क देकर ही निरक्षर लोगों को भी चाही गई सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी और जिन लोगों को सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी वह पब्लिक डोमेन में अपनी शिकायत दर्ज करके आगे कार्यवाही कर सकेंगे। इसी प्रकार ई–गवर्नेंस के द्वारा विभिन्न विभागों और संगठनों के बीच नेटवर्किंग इस तरह होगा कि उनके बीच कागजों और फाइलों का आदान–प्रदान कम से कम होगा एवं ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं का द्रूतगति से आदान–प्रदान किया जा सकेगा जिससे कार्यों में अनावश्यक विलम्ब, जटिल नियम–कानूनों की प्रक्रिया, लालफीताशाही जैसे प्रशासनिक दुर्गुणों की स्वतः समाप्ति हो जाएगी। ई–गवर्नेंस के विकास हेतु विभिन्न राज्यों ने अपने–अपने स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों में सूचनाओं का अन्तर्राज्यीय आदान–प्रदान करने के साथ–साथ अपने–अपने मंत्रालयों एवं विभागों की वेबसाईटें जारी करना तथा सूचना तकनीक नीतियां घोषित कर सुशासन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का संरचनात्मक विकास करना प्रमुख है।

ई–गवर्नेंस शासन व्यवस्था में गोपनीयता के विपरीत पारदर्शी संरचना का विकास करता है, जो सुशासन की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यह प्रत्येक स्तर पर जनता एवं प्रशासन के बीच विद्यमान गहरी खाई में सहयोग, समन्वय एवं खुली व्यवस्था का निर्माण करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता को क्या, क्यों, कैसे का उत्तर प्राप्त हो सकता है तथापि विकास कार्यों, शासकीय निविदाओं आदि में गोपनीयता की आड़ में पनपते भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। जिस पर वह अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सुशासन

को बल प्रदान कर सकेगी। ई–गवर्नेंस के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति जनता को सहज ही सुलभ हो सकेगी। ई–गवर्नेंस के माध्यम से "संसूचित नागरिक संसूचित समाज" का नारा चरितार्थ किया जा सकेगा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, संवर्द्धन, एवं विकास की दिशा में नया आयाम स्थापित होगा।

ई–गवर्नेंस के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं जिनके निराकरण में अभी समय लगेगा। प्रमुख चुनौतियों की निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से चर्चा की जा रही है :

- जिस देश की एक चौथाई से अधिक आबादी निरक्षर हो तथा कम्प्यूटर साक्षरता एवं विधिक साक्षरता के आंकड़े उपलब्ध ही न हो वहां ई–गवर्नेंस की योजना को यथार्थ में लागू करना एक चुनौती भरा कार्य होगा। फलतः ई–गवर्नेंस की सम्पूर्ण सफलता हेतु देश की आबादी को पूर्ण साक्षर बनाना होगा तथा ई–साक्षरता एवं विधिक साक्षरता की दिशा में द्रुतगति से विकास करना अनिवार्य होगा।
- सूचना की संस्कृति का अभाव भी ई–गवर्नेंस में बाधक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित सन् 1923 के सरकारी गोपनीयता कानून की जकड़न से सूचना के अधिकार कानून 2005 के बावजूद भी, जनता आज तक इस पारदर्शी व्यवस्था का उपयोग करने में हिचकिचाती है। अतः जनजागृति की अत्यधिक आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे एवं सुविधाओं के अभाव के कारण देश के बहुसंख्यक क्षेत्र आज भी बिजली, पानी, सड़क और दूरसंचार के लिए संघर्षरत हैं। राजनैतिक नेतृत्व भी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ता है। अभी ई–गवर्नेंस का मुद्दा उनके एजेंडों से काफी दूर है। यद्यपि पड़ोसी राज्यों के विगत निर्वाचन में कुछ राजनैतिक दलों ने लेपटॉप देने की बात अवश्य कहीं थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह योजनाएं फलीभूत नहीं हो सकती हैं, तथापि ई–गवर्नेंस से सुशासन का सपना धरातल पर आने में देरी होगी।
- ई–गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में तभी प्रगति हो सकती है जब ज्यादातर आबादी इस नई नकनीक को समझने में सक्षम हो लेकिन ज्यादातर राज्यों में स्थानीय भाषा में सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं हैं। यह सत्य है कि राज्यों के सीमांत गांवों में जहां स्थानीय भाषा ही समझी जाती है वहां ई–गवर्नेंस को स्थानीय भाषा के सम्प्रेषण से ही सफल बनाया जा सकता है।
- हमारे सांस्कृतिक ताने–बाने में जहां एक ओर विश्वास की संस्कृति स्थापित रही है। वहीं तर्क की संस्कृति कमजोर रही है जिससे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक कार्यों में जन–उदासीनता के कई साक्ष्य मिलते हैं। शासन तंत्र के बारे में "कोई नृप होय हमें का हानि" की सोच ने, एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव के चलते ई–गवर्नेंस को अपनाने में जनता ने उदासीनता को स्थापित कर रखा है जिससे ई–गवर्नेंस को अपनाने में जनता असहजता का अनुभव करती है।
- भारतीय नौकरशाही का ढांचा ब्रिटिश साम्राज्य से विरासत में मिला था। सरकारी कामकाज एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति तब से लेकर आज तक शासन–तंत्र में कायम है। शक्ति और निरंकुशता के आधार पर कुलीन सोच की मनोवृत्ति से ग्रस्त नौकरशाह प्रायः निरंकुश बने रहना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि सुशासन का सपना यथार्थ में नहीं बदल पाता है। साथ ही साथ ई–गवर्नेंस की दिशा में प्रगति कमजोर हो जाती है।
- संसाधनों की कमी के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु सभी स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ई–गवर्नेंस की स्थापना की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। जिसका समाधान लोकसेवकों के प्रशिक्षण में ई–गवर्नेंस को शामिल कर खोजा जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, इंटरनेट, जनमित्र–कियोस्क अथवा संचार ढाबों की कमी हैं जिससे देश की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता ई–गवर्नेंस के चमत्कारिक प्रभाव से पूर्ण परिचित नहीं हो पा रही है।
- जागरुकता के अभाव में विकास कार्यों पर व्यय की गई धनराशि के सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था का अभाव, निर्णय लेने की केन्द्रीयकृत व्यवस्था, रिकॉर्ड रखने की प्रवृत्ति का अभाव, लोकतांत्रिक प्रणाली की सामान्य कमजोरियां आदि, ई–गवर्नेंस की प्रणाली के लिए प्रमुख बाधाएं हैं। इस प्रकार से सुशासन की स्थापना तभी हो सकती है जब निम्नांकित तथ्यों पर विचार कर अपनाया जाए।

सूचना संस्कृति का विकास – हमारे शासन में सूचना प्रदान करने की नवीन संस्कृति का विकास प्रशासन तथा जनता के स्तर पर अभियान चलाकर करना होगा तभी ई–गवर्नेंस की सफल स्थापना हो सकेगी। कुछ राज्यों में सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से सूचना प्रदान करने की पहल आरम्भ हुई है जिससे जनता में सूचना–संस्कृति का प्राथमिक विकास होने लगा है। जब तक नियमित रूप से शासकीय कार्यों की सूचना लेने एवं सरकार को जनता द्वारा सूचना देने की संस्कृति को दैनिक गतिविधि का अंग नहीं बनाया जाएगा तब तक शासन और जनता के बीच एक बड़ी खाई बनी रहेगी इसे सूचना–संस्कृति के विकास के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है।

प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती में आई.सी.टी. के प्रश्नपत्र को अनिवार्य बनाया जाना– वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली सम्बन्धी कोई प्रश्नपत्र नहीं रखा गया है, जबकि ई–गवर्नेंस से शासन प्रणाली संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के उत्कृष्ट ज्ञान की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि भर्ती परीक्षाओं में कम्प्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की कोई परीक्षा नहीं ली जाती है जिससे प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण में ई–ज्ञान का स्तर कमजोर रहता है। इसे उत्कृष्ट रखने के लिए भर्ती परीक्षा में ही यदि इस तरह का प्रश्नपत्र सर्वाधिक अंक का रख दिया जाए तो पहले से ज्ञानवान एवं प्रशिक्षित कर्मचारी एवं अधिकारी ई–गवर्नेंस को कुशलता से लागू कर सकेंगे।

तकनीकी कौशल का विकास – तकनीकी कौशल के विकास के माध्यम से ई–गवर्नेंस के प्रयास में बाधक चुनौतियों को समाप्त किया जा सकता है जिसके लिए जनोपयोगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सस्ते दामों पर बाजार में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। सभी सार्वजनिक स्थानों पर सूचना ढाबों के साथ–साथ जनता द्वारा संचालित ई–विण्डो आदि का विकास कर सरकारी आंकड़ों और सार्वजनिक सूचनाओं को सभी को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालयी/महाविद्यालयी/विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में अनिवार्य कम्प्यूटर विषय तो रखा गया है लेकिन उसका पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली मात्र औपचारिकता भर निभा रहा है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन एवं परिष्करण की आवश्यकता है।

ई–साक्षरता एवं विधिक साक्षरता के आंकड़ों का एकत्रीकरण– सन् 2011 की जनगणना में भी जो आंकड़े अथवा सूचनाएं जनता से एकत्रित की गई थी, उनमें ई–साक्षरता एवं विधिक साक्षरता सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं ली गई थी जबकि ई–गवर्नेंस को द्रुतगति से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि ई–निरक्षरता एवं विधिक निरक्षरता के क्षेत्रों को पहचान कर ई–साक्षरता एवं विधिक साक्षरता का लक्ष्य आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में तय किया जाए जिससे ई–गवर्नेंस के प्रचार–प्रसार में सुविधा मिले एवं सुशासन की स्थापना एवं सफलता की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

राजकीय वेबसाइटों एवं कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों का अद्यतनीकरण – सरकारी वेबसाइटों तथा कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन कर स्थानीय भाषा में डाटाबेस तैयार करने की विधियों का विकास करना होगा।

ई–गवर्नेंस के प्रयोग की दृष्टि से राजस्थान में नायला राज्य का प्रथम गांव है जहां जन स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन, बिजली, पानी एवं रोजगार की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना केन्द्र स्थापित किया गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के धार जिले में ज्ञानदूत के माध्यम से 31 ग्रामीण केन्द्रों को जोड़ा गया है तथा मध्यप्रदेश के सिहोर राज्य की प्रथम कम्प्यूटरीकृत ग्राम पंचायत बनी थी। राजस्थान में भी ग्रामदूत योजना के अन्तर्गत ई–गवर्नेंस की सुविधाओं का सफल संचालन किया जा चुका है। महाराष्ट्र में भी ई–गवर्नेंस के माध्यम से ग्रामीण जनता की सूचना सम्बन्धी बहुविध आवश्यकताएं जैसे भू–अभिलेख की प्रतियां, कृषि सम्बन्धी जानकारियां एवं नवीन तकनीकी खोजों के साथ–साथ कृषि उपज मण्डियों के भाव आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण जनता मोबाईल प्रयोग की भांति ई–सुविधाओं की उभरती तकनीक को अपनाकर सुशासन के नए अवसर का सदुपयोग करेगी। आवश्यकता इस बात की है कि सस्ती दरों में ई–गवर्नेंस के नवाचार एवं उसकी व्यापक उपयोगिता से ग्रामीण जनता को परिचित कराया जाए।

(व्याख्याता, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)–326001)
ई–मेल : pranavdevdwivedi@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com